

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पक्षी उदीबाई विपक्षी जीता  
 क्रम मुकदमा वाद् पत्रावली संख्या 34/24 सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>18/2/25                      पत्रावली पेश वकील प्राथी/अपीलाण्ट/                      प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन                      अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग                      में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में                      पंक <u>27/5/25</u> को पेश हो                      010</p> <p><u>28/4/25</u>                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली</u>                      के लिखे मौका चाहते है। अतः <u>अवतः 28/4/25</u> पर मौका                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>27/5/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p> <p><u>27/5/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय पक्ष.                      उपर अधि. द्वारा जवाब हेतु अवसर पाडा                      मौका अवसर अवतः 28/4/25 पर दिमा                      जाकर आगाए किया जाता है कि आगाही पेशी                      पर अधि प्रतिवादी जवाब पेश करे पत्रावली                      वास्ते जवाब तलवी दिनांक 28/7/25 को                      पेश हो।</p> <p><u>28/7/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय पक्ष. उप.                      प.स. 9 कि मोर से अधि. कानूनी जेन अरा                      No instruction किया। पुनः तामील जारी                      हो। प.स. 2 के अन्तर्गत काद तामील प्राप्त                      हुए बिलम्ब आवाजे दिखवाई गई। अनुपस्थित                      रहे। अतः अनुपस्थित रहे पर प.स. 2 के विरुद्ध                      एतदुक्त कार्यवाही अमल में लाई जाती है।                      पत्रावली वास्ते जवाब तलवी दिनांक 10/11/25                      को पेश हो।</p>	

No instruction  
 [Signature]  
 [Signature]



13/10/25  
वकुल्य वादी/प्रतिवादी उप. 0910/तल  
के लिखे मौका चाहते है। अतः  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 22/12/25  
को पेश हो।

(SDO) सावली

22/12/25

पत्रावली पेसा हुई। अधिवक्ता वादीयां  
मय स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादीया मय स्वयं वादीया को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM  
हो चुके हैं। स्वयं वादीया एवं उनके अधिवक्ता  
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीयां  
मय स्वयं वादीया अनुपस्थित रहने पर वादीया  
का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज  
क्रिया जाता है। पत्रावली फँसल शुमार लेकर  
नम्बर से कम हों।

निर्णय स्थले न्यायालय चुनाव गया।



सावली कलेक्टर  
(SDO) सावली